भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2317

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026 / 12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

तमिलनाडु में बैंक मित्रों का नेटवर्क

†2317. डॉ. रानी श्रीकुमार:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण, जनजातीय, तटीय और अल्पसेवित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में तमिलनाडु में बैंक मित्र नेटवर्क के कामकाज और प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में वर्तमान में कार्यरत बैंक मित्रों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत कवर किए गए गांवों, किए गए बैंकिंग लेन-देन और लाभान्वित लाभार्थियों की वर्ष-वार तथा जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के आकांक्षी, सुदूर और आर्थिक रूप से कमजोर जिलों में, विशेषकर बिना बैंक वाली और कम बैंक वाली ग्राम पंचायतों में बैंक मित्रों की कमी या बैंकिंग पहुंच में कमियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) अतिरिक्त तैनाती, संवर्धित पारिश्रमिक, बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी, घर तक बैंकिंग सुविधाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तमिलनाडु में बैंक मित्र नेटवर्क को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 30.06.2026 तक तमिलनाडु में कुल 34,586 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) कार्यरत हैं और तमिलनाडु के सभी 15,425 बसे हुए गांवों को 5 किलोमीटर के दायरे में शाखा/बीसी/आईपीपीबी केंद्र द्वारा कवर किया गया है। बैंकिंग लेनदेन की सुविधा और लाभार्थियों से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। बैंक ग्रामीण, जनजातीय, तटीय और अल्पसेवित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। पर्याप्त बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी), जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों के माध्यम से नियमित अंतरालों पर बीसी की संख्या और उनके कार्यकरण और प्रभावकारिता की समीक्षा और निगरानी की जाती है।

(ग): बैंक पर्याप्त बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक क्षमता, जनसंख्या और भौगोलिक आवश्यकताओं के आधार पर बीसी को तैनात करते हैं। सरकार, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से बैंकों के साथ समन्वय में, बैंकिंग पहुंच की लगातार निगरानी करती है। जेडीडी ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु के आकांक्षी जिलों में कुल 1702 बीसी काम कर रहे हैं और तमिलनाडु के सभी 15,425 बसे हुए गांवों को 5 किलोमीटर के दायरे में शाखा/बीसी/आईपीपीबी केंद्र द्वारा कवर किया गया है।

(घ): बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीसी को नियुक्त करने के लिए एक नीति तैयार करते हैं, जिसमें बैंक बीसी को उचित कमीशन/शुल्क/प्रोत्साहन का भुगतान करते हैं, जिसकी दर और मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। बीसी विभिन्न बैंकिंग गतिविधियां करते हैं जैसे बैंक खाते खोलना, पुनः केवाईसी पूरा करना, नकद जमा और निकासी सहित डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन और विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में अन्य बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। बैंक कॉर्पोरेट बीसी के माध्यम से बीसी को गुणवत्ता और बुनियादी इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें बीसी के लिए उनकी परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अलावा डिवाइस एप्लिकेशन उपयोग और सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण शामिल होता हैं।
